12|12|17 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण।
उपस्थित नहीं। पुकारानुसार तलबी होकर
पत्रावली दिनांक 9|1|18 को पेश हो। [signature]

9|1|18 वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण
नं॰1 ता 25 दैनिक अखबार में साया
नोटिस करवाए जाने के पश्चात भी
उपस्थित नहीं है। दैनिक अखबार
की प्रति पेश की जो शामिल फाईल
किया गया। अप्रार्थीगण नं॰1 ता 25
के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही
अमल में लायी जाती है। तहसीलदार
(भू) हनुमानगढ़ की रिपोर्ट प्राप्त हो
चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस
दिनांक 12|1|18 को पेश हो। [signature]

12|1|18 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस
सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय
दिनांक 22|1|18 को पेश हो। [signature]

22|1|18 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-
-पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखवाया जाकर शामिल फाईल
किया गया। पत्रावली नम्बर से खारिज
की जाकर बाद तरतीब तकमील
जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश
बसुरे इजलास सुनाया गया। [signature]

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर ए एम

प्रकरण सं.: 387/2016

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह जरिये पावर आफ अटार्नी सिमरजीत सिंह पुत्र गुरप्रीत सिंह जाति जट सिख निवासी चक 3 यूटीएस उत्तमसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

2. दर्शन सिंह पुत्र बूटा सिंह जाति जट सिख निवासी 4 यूटीएस उत्तमसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान

-प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

1. लालसिंह
2. पाल सिंह
| पिसरान हरदेव सिंह जाति रामगढिया निवासी उत्तमसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

3. करनैल कौर जोजा हरदेवसिंह शेरसिंह वाली ढाणी गांव उत्तमसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

4. भोली
5. धर्मी
| पुत्रियान हरदेव सिंह निवासियान शेरसिंह वाली ढाणी गांव उत्तमसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. प्रीतम कौर पत्नी हरनेसिंह निवासी ढाणी शेरसिंहवाली तहसील व जिला हनुमानगढ

7. पुष्पेन्द्र कौर पुत्री गुरतेज कौर बेवा रणवीर सिंह जाति जट सिख निवासी मिठूखेड़ा तहसील लंबी जिला मुक्तसर

8. राणा सिंह
9. राजा सिंह
| पिसरान रघुवीर सिंह जाति जट सिख निवासी मिठूखेड़ा तहसील लंबी जिला मुक्तसर

10. हरविन्द्र सिंह
11. परमजीत सिंह
12. राजबक्श कौर
13. गुरबक्श कौर
| पिसरान जसवीर सिंह

14. सरजीत कौर बेवा जसवीर सिंह

| अकवाम जट सिख साकिन मिठूखेड़ा तहसील फाजिल्का,

15. प्रीतम कौर जोजा हरनेक सिंह जाति जट सिख निवासी शेरसिंहवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

16. सुरजीत कौर जोजा राजा सिंह उर्फ जगराज सिंह जाति जट सिख निवासी उत्तमसिंवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

17. राजसिंह उर्फ जगराज सिंह पुत्र नंदसिंह जट सिख निवासी उत्तमसिंवाला तहसील व जिला हनुमानगढ

18. बलदर्शन सिंह 19. हरदर्शन सिंह उर्फ बाबू सिंह 20. विचित्र सिंह	पिसरान शेर सिंह पुत्र मीहासिंह जाति जट सिख साकिन मिठूखेड़ा तहसील फाजिल्का, जिला मुक्तसर, पंजाब

21. चेतन वल्द पुरखा जाति कुम्हार निवासी कुण्डलावला 6 एलएनपी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

22. खेताराम 23. लालूराम 24. सुखराम	पिसरान गणेशारा जाति कुम्हार निवासी कुण्डवाला 6 एलएनपी, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

25. जसकरण सिंह पुत्र हरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी शेरसिंहवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ

26. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

-अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता स्वीकार करने</u>

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>निर्णय</u> दिनांकः 22.1.2018

उपस्थितः 1. श्री अनिल कुमार शर्मा-अधिवक्ता-प्रार्थीगण की ओर से

2. राजपैरोकारः

3. अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि- प्रार्थी सं. 1 के नाम चक 4 यूटीएस के खाता सं.13/12 के प नं. 47/211 (42) कि नं. 21 ता 25, प नं. 47/212 (45) कि नं 1 ता 5 कुल 10 बीघा कृषि भूमि में अप्रार्थी सं. 19 के साथ खाता में राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिसमें प्रार्थी का उक्तानुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी प्रमाणित संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे यह रोशन है।

कि प्रार्थी सं. 2 दर्शन सिंह के नाम चक 4 यूटीएस के खाता सं. 8/7 में प्रार्थी के कब्जा काश्त में प नं. 47/211 (42) कि नं. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15, 16 ता 20 कुल 2.530 है. भूमि जिसमें प्रार्थी सं. 2 की कि नं. 15 में ढाणी बनी हुई है व खाता सं. 62/65 में प नं. 49/212 (37) किला नं. 21, प नं. 49/213 (38) किला नं.

पू. उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

4

1 कुल 0.506 है. प्रार्थी स. 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का उक्तानुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी स. 1 ग्राम आबादी चक 3 यूटीएस उत्तमसिंहवाला का निवासी है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 4 यूटीएस के प नं. 47/211 (42) किला नं. 21 ता 15 व 47/212 (45) किला नं. 1 ता 5 में जाने के लिए चक 3 यूटीएस के प नं. 50/213 (39) किला नं. 1 ता 5, प नं. 49/213 (38) में किला नं. 1 ता 5, चक 4 यूटीएस के प नं. 48/212 (44) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25, प नं. 48/211 (43) किला नं. 5, 6, 15, 16, 5, प नं. 48/211 (43) किला नं. 1 ता 5, प नं. 47/211 (42) किला नं. 1 ता 5, प नं. 47/211 (42) किला नं. 1,10, 11, 20 से होकर अपने खेत में प्रवेश करता है एवं प्रार्थी सं. 2 का चक 4 यूटीएस के प नं. 47/211 (42) किला नं. 11 से 20 कब्जा काश्त है जिसमें किला नं. 15 में प्रार्थी सं. 2 का रिहायशी मकान है। प्रार्थी सं. 2 को अपने कब्जा काश्त खेत चक यूटीएस के प नं. 49/212 (37) किला नं. 21, प नं. 49/213 (38) किला नं. 1 में जाने के लिए 47/211 (42) किला नं. 1-10 व 1 ता 5, स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर प नं. 48/211 (43) किला नं. 1 ता 5 व 5, 6, 15, 16, 25 व प नं. 48/212 (44) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 से होकर अपने खेत में आवागमन करता है। उपयोग कर रहा है। राजस्व रिकार्ड में प नं. 50/213 (39) कि नं. 1 ता 5, प नं. 49/213 कि नं. 1 ता 5, प नं. 49/212 (44) कि नं. 5-6-15-16-25, प नं. 48/211 (43) कि नं. 5, 6, 15, 16, 25 गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन है किन्तु प नं. 48/211 (43) कि नं. 1 ता 5 उत्तरी छोर के पूर्व से पश्चिम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किन्तु मौका पर चालू है जिसके लिए अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता हेतु लिखित में स्वीकृति दी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के रास्ता उपभोग के अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण का उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता खेत में प्रवेश के लिए सुलभ नहीं है व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग की रास्ता कृषि भूमि अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ता स्वीकार की एवज में रास्ता में प्रयुक्त भूमि की एवज में भूमि अथवा डीएलसी रेट के आधार पर राशि अदा करने को तत्पर व तैयार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कई दफा कहा कि उक्त रास्ता चक 3 यूटीएस के प नं 48/211 के किला नं. 1 ता 5 के रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा देवें व रास्ता के लिए भूमि की एवज में भूमि या डीएलसी दर के हिसाब से रकम प्राप्त कर लेवें तो पहले तो टाल मटोल करते रहे अंततः 7 दिवस पूर्व वे इनकार हो गए। प्रार्थीगण के अनुतोष में वर्णित प नं. 48/211 (43) के किला नं. 1 ता 5 का कब्जा वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 ता 6 के पास चला आ रहा है इसलिए अप्रार्थी सं. 1 ता 6 को आवश्यक पक्षकार के रूप में व शेष अप्रार्थीगण को फार्मल पक्षकार के रूप में प्रार्थना पत्र के शीर्षक में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण ने श्रीमान तहसीलदार हनुमानढ को एक

Gh
सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र दिनांक 1-8-2016 को बाबत रास्ता स्वीकृत करने की तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत प्रस्तुत किया था जिसकी बाद रिपोर्ट पटवारी श्रीमान तहसीलदार को प्रस्तुत की जा चुकी है जिसके अनुसार प्रार्थीगण को प्रश्नगत रास्ता के अलावा अपनी खातेदारी भूमि में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अनुतोषानुसार वर्णित रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थीगण अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगा को जरिये समन तलब किया गया। प्रार्थीगण के आवेदन पर अप्रार्थीगण को जरिये समाचार पत्र में समन साया कर तलब किया गया जिस पर अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आए। प्रार्थीगण की मांग के अनुसार तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट रास्ता मय नक्शा मंगवाई गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण के रास्ता की मांग के अनुसार रास्ता सुलभ होना बताया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया व इसकी एवज मे डीएलसी राशि की दुगुनी राशि देने के लिए भी सहमति के कथन किए। बहस अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार, हनुमानगढ की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 यूटीएसके प नं. 48/211(43) कि नं. 1 ता 5 के उत्तरी छोर से पूर्व से पश्चिम एक-एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व उक्त स्वीकृत रास्ता की एवज में वर्तमान डीएलसी की इसी चक में कृषि भूमि की अधिकतम दर की दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण को करना होगा। उक्तानुसार राशि जमा होने पर स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

निर्णय आज दिनांक 22-1-18 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सुरेन्द्र सिंह पुरोहित
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner